भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2149

12 फरवरी 2026, को उत्तर दिए जाने के लिए

मशीनीकृत सफाई उपकरणों से युक्त यूएलबी

†2149. थिरु डॉ. एस. जगतरक्षकनः

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधिः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मशीनीकृत सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई उपकरणों से सुसज्जित शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और नगरपालिकाओं की मार्च 2025 तक राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) सीवर और सेप्टिक टैंकों में मानव-प्रवेश को पूरी तरह से समाप्त कर चुके यूएलबी की संख्या कितनी है और तत्संबंधी प्रमाणन या सत्यापन स्थिति क्या है;

(ग) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए निरीक्षणों की संख्या कितनी है और इस संबंध में पाए गए उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए यांत्रिक उपकरणों के उपयोग को अनिवार्य करने वाली कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) या तकनीकी दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और जारी करने का वर्ष क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख) स्वच्छता राज्य का विषय है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के 100 प्रतिशत मशीनीकरण के लिए आवश्यक उपकरण खरीदें या पट्टे पर लें। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 100% मशीनीकृत सीवर और सेप्टिक टैंक रखरखाव संचालन के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरणों की पहचान की है

तथा राज्यों और यूएलबी द्वारा आसानी से खरीदे जाने के लिए इस उपकरण को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर सूचीबद्ध करने की सुविधा प्रदान की है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सभी यूएलबी के लिए एक सफाईमित्र सुरक्षित शहर प्रोटोकॉल शुरू किया। प्रोटोकॉल के आधार पर, एक यूएलबी को सफाईमित्र सुरक्षित शहर के रूप में तब घोषित किया जा सकता है यदि यह प्रोटोकॉल में निर्धारित संस्थागत डोमेन, जनशक्ति डोमेन और उपकरण डोमेन - जैसे प्रत्येक डोमेन में कम से कम 'पर्याप्त' स्थिति प्राप्त करता है। वर्तमान में, 3,489 से अधिक यूएलबी ने खुद को सफाईमित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नमस्ते(नेशनल एक्शन फॉर मकेनाइज्ड सेनिटेशन ईको-सिस्टम) योजना में स्वच्छता कर्मचारियों और निजी स्वच्छता सेवा संचालकों (पीएसएसओ) को मशीनीकृत स्वच्छता उपकरणों की खरीद और इन्हें लगाने के लिए अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी देने का प्रावधान है। इसके अलावा, स्वच्छता उद्यमी योजना (एसयूवाई) के अंतर्गत मशीनीकृत सफाई उपकरणों/वाहनों की खरीद के लिए ऋण और अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है। एसयूवी के तहत मार्च, 2025 तक प्रदान किए गए प्रत्यक्ष ऋण और अग्रिम पूंजी सब्सिडी का विवरण अनुलग्नक में है।

(ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सूचित किया है कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए निरीक्षणों के आंकडे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(घ) सीवर और सेप्टिक टैंकों में खतरनाक प्रवेश को समाप्त करने और सीवर और सेप्टिक टैंक मशीनीकृत सफाई के माध्यम से हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 के तहत एक नया घटक यानी प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) शामिल किया गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 2019 में सुरक्षा पद्धतियों को संस्थागत बनाने और सीवर की मैनुअल सफाई के खतरों को कम करने हेतु रूपरेखा तैयार करने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई (ईआरएसयू) पर एक परामर्शिका जारी की है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने नवंबर, 2018 में सीवर और सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत और मैनुअल सफाई के दौरान पालन की जाने वाली प्रक्रिया संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निजी स्वच्छता सेवा ऑपरेटरों (पीएसएसओ) को शामिल करने में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का मार्गदर्शन करने के लिए जून, 2025 में मॉडल एम्पानेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट डाक्यूमेंट जारी किए हैं। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अनुपालन में सुरक्षित, मशीनीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पष्ट कानूनी और परिचालन दिशानिर्देश स्थापित करना है।

अनुलग्नक

"मशीनीकृत सफाई उपकरणों से युक्त यूएलबी" के संबंध में दिनांक 12.02.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2149 के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित विवरण

मार्च 2025 तक स्वच्छता उद्यमी योजना के तहत राज्य-वार प्रगति

(लाख रुपए में)

राज्य/एससीए/सीए	लाभार्थियों को पूंजीगत सब्सिडी			एनएसकेएफडीसी द्वारा यूएलबी को ऋण		
	यूएलबी की संख्या	इकाइयों की संख्या	जारी की गई पूंजीगत सब्सिडी	यूएलबी की संख्या	एनएसकेएफडीसी द्वारा जारी ऋण राशि	उपकरणों/ इकाइयों की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	8	38.19	0	0.00	0
आंध्र प्रदेश	28	239	2886.52	0	0.00	0
बिहार	1	1	4.61	1	534.06	21
गुजरात	1	11	81.32	0	0.00	0
हरियाणा	1	6	20.78	1	6.12	1
झारखंड	1	7	27.09	0	0.00	0
मध्य प्रदेश	3	119	507.68	15	2601.36	131
महाराष्ट्र	1	2	7.90	2	36.08	5
ओडिशा	2	9	62.43	0	0.00	0
राजस्थान	6	5	20.60	0	0.00	0
तमिलनाडु	2	9	158.84	0	0.00	0
तेलंगाना	6	23	191.78	7	231.05	76
उत्तर प्रदेश	2	57	217.87	1	35.46	4
पुडुचेरी	0	0	0.00	1	289.34	6
उत्तराखंड	0	0	0.00	1	550.47	56
हिमाचल प्रदेश	0	0	0.00	1	22.83	2
उप कुल	**55**	**496**	**4225.61**	**30**	**4306.77**	**302**

*****